# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 149/2021

**प्रार्थीगणः—**

1. बाबुलाल पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदडी
2. गोपालराम पुत्र सोनाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
3. हरू पुत्र गोरधनाराम जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदडी
4. धनी पत्नि हरूजी जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदडी
5. भाणीदेवी पत्नी घेरवराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी

   जिला बाडमेर

**बनाम**

**विप्रार्थीगण**

1. जयश्किान पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
2. बुधाराम पुत्र जोधराम जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदडी
3. सुखराम पुत्र जोधराम जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदडी
4. हेमाराम पुत्र जोधराम जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदडी
5. हरीराम पुत्र जोधराम जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदडी
6. आसुराम पुत्र वीरमा जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
7. घेवरराम पुत्र वीरमा जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
8. चौथा पुत्र वीरमा जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
9. जाला पुत्र प्रहलाद जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
10. नाबालिग पूजा पुत्री पूनमाराम जरिये कुदरती वलीया माता मुस्मात मोहनीदेवी पत्नी पुनमाराम विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
11. मोहनीदेवी पत्नि पुनमाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
12. सरला पुत्री पुनमाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
13. हरीशकुमार पुत्र पुनमाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
14. रामनिवास पुत्र पुनमाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
15. बाबुलाल पुत्र वीरमा जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
16. पुष्पराज पुत्र सोहनराम बोहरा जाति ओसवाल निवासी जालोर फतेह ग्रेनाईट एण्ड मारबल प्राईवेट लिमिटेड 88 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया जालोर
17. पुनमाराम पुत्र कोहलाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
18. बाबुलाल पुत्र कोहलाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
19. भगवानाराम पुत्र कोहलाराम जाति विश्नोई निवासी फूलण तहसील समदडी
20. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः—

1. श्री पूनमाराम अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री उम्मेदसिंह चम्पावात अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 9

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

## –:: आदेश ::–

दिनांक -13.05.22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीग्ण की खातेदारी की कृषि भूमि तहसील समदडी जिला बाडमेर के राजसव ग्राम फूलण में खसरा संख्या 611 रकबा 07.4705 हैक्टयर किस्म धारा का आया हुआ है जिसके चतुर्दिशा में विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम खसरा संख्या 610/133 व विप्रार्थी संख्या 6 ता 15 के नाम खसरा संख्या 609/166 ,विप्रार्थी संख्या 17 से 19 के नाम खसरा संख्या 269/130,खसरा संख्या 605/167 व खसरा संख्या 635/130 के नाम की कृषि भूमिया राजस्व ग्राम फूलण में प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 611/166 के पास आई हुई है विप्रार्थीगण संख्या 1 से 19 जो प्रार्थीगण के खेत की सीमाओं के लगते पडोसी खातेदार है प्रार्थीगण के खेत के भूमि को अवैध,अनुचित तरीके से जबरन दबाकर हडप करना चाहते है जिस कारण खेत की सीमाओं के लेकर हमेशा विवाद बना रहता है प्रार्थीगण के द्वारा सीमज्ञान करवाया गया लेकिन विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 द्वारा उक्त सीमाज्ञान के सम्बन्ध में आनाकानी करने लगे। खेत की सीमाओं के लेकर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण में हमेशा विवाद बना रहने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना न्यायालय श्री में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से वकील से उम्मेदसिंह चम्पावत उपस्थित । विप्रार्थी संख्या 17 ता 19 द्वारा इकबाली जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष बाबत सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्य 1 ता 8 व 10 ता 16 व 20 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 9 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 का पेश किया गया नकल प्रार्थीगण वकील को दी गई। प्रार्थीगण वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या 9 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया नकल विप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता को दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

उभयपक्षकरानो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस विप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि विप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत सरहद मौजा फूलण तहसील समदडी में खेत खसरा संख्या 166 स्थित है उक्त खेत का समस्त खातेदारान की आपसी सहमति व सहुलियत के अनुसार राजस्व कैंम्प में दिनांक 10.06.2015 को तहसीलदार समदडी द्वारा बंटवाडा

किया गया व उसी अनुसर मौके पर विध्यमान कब्जे काश्त के मुताबिक नक्शें में तरमीम कर अलग–अलग खसरान के रूप में खातेदारो के नाम से खातेदारी भी अंकित की गई विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 609/166 के पडोस में विश्व प्रसिद्व ग्रेनाईट के पत्थर का पहाड अथाह भंडार है जहां पर विप्रार्थी संख्या 16 पुष्पराज द्वारा कब्जा करने की नियम से एक प्रार्थना पत्र बुद्याराम पुत्र जोधाराम कसे गलत रूप से तरमीम के झुठा आधार की कहानी रचगढ कर खसरा संख्या 610/66 का पेश कर उसी के आधार पर विप्रार्थी को बिना सुने ही विप्रार्थी का खेत के नक्शे में भारी रदोबदल कर खसरा संख्या 609/166,610/166,611/166 व 612/166 के नक्शे में बिना किसी सक्षम अधिकारिता के ही भारी फेरबदल कर खसरा संख्या 612 के खातेदार पुष्पराज की भूमि को विप्रार्थी एवं ग्रेनाईट के पहाड के मध्य दर्शा दिया गया और खेत खसरा संख्या 611 की भूमि में भी मूलभूत परिवर्तन कर दिया गया। विप्रार्थी द्वारा एक वादपत्र जालाराम बनाम पुष्पराज वगैरा राजस्व वाद संख्या 101/2021 पेश किया गया है जो उक्त पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र से भी सम्बन्धित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की गलत तरमीम को सत्यता में दर्शाने हेतु पेश किया गया है ओर इसी के आधार ही खसरा संख्या 612/166 की वर्तमान तरमीम को भी दुराश्यपूर्वक सही बताते हुये विप्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कराने की मंशास्वरूप उक्त पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अज अदालत में लम्बित है इसके कारण उक्त वादपत्र का वाद उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि राजस्व ग्राम फूलण के खेत खसरा संख्या 166 का समस्त खातेदारान की सहमति से बंटवाडा किया गया जो भूमि नक्शा के व मौका के स्थिति में भिन्नता थी जैसा नक्शा में बताया उसके अनुसार किया जबकि मौका स्थिति भिन्न होने से उसी भूमिधारी तहसीलदार समदडी ने स्वीकार कर मौके व नक्शा की भिन्नता को दुरूस्त करने के लिये अज अदालत में निवेदन किये जाने पर अज अदालत द्वारा दिनांक 06.07.2021 को आदेश की पालना मे तहसीलदार समदडी द्वारा मौका व नक्शा की स्थिति के अनुसार नक्शा में तरमीम की गयी प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि का पत्थरगढी करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल का है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने पत्रावली का गहराई से अध्ययन व मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम

चोसला आधार सम्वत 2077–2080 जमाबंदी संवत् 2077 (वर्ष 2020) सरहद मौजा फूलण पटवार मण्डल सांवरडा तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 611/166 रकबा 7.4705 हैक्टयर किस्म धोरा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त विचारण का है इसके निस्तारण से किसी के हको/स्थाई निषेधाज्ञा का निर्धारण नहीं होगा। विप्रार्थी संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में विप्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र को विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद के साथ कंसोलिट किया जाना अज अदालत उचित नहीं समझता है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा फूलण पटवार मण्डल सांवरडा तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 611/166 रकबा 7.4705 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

**( कुसुमलता चौहान )**
**उपखण्ड अधिकारी, सिवाना**

आदेश आज दिनांक 13.05.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

**( कुसुमलता चौहान )**
**उपखण्ड अधिकारी, सिवाना**